

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 340] No. 340] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2018/ ज्येष्ठ 3, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2018/ JYAISTHA 3, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई 2018

सा.का.नि. 482(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2015 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः :—

- 1. (1) इन नियमों को गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।
 - (2) ये भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) (समूह 'ख' अराजपत्रित पद) भर्ती नियम, 2015 (इन्हें इसके बाद उक्त नियम कहा जाएगा) के नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, नामतः :--
 - "2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल–पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में लेवल वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।"
- 3. उक्त नियमों में, अनुसूची में, -
 - (क) स्तंभ 2 में ''04 * (2015)'' की संख्या और कोष्ठक के स्थान पर ''05* (2018)'' की संख्या और कोष्ठक रखे जाएंगे।
 - (ख) स्तंभ (4) में तत्संबंधी शीर्षक और प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखे जाएंगे, नामतः :--

'' वेतन मैट्रिक्स में लेवल
(4)
लेवल — 6(रु. 35400—112400 / —) " ;

2869 GI/2018 (1)

- (ग) स्तंभ (11) , उप शीर्षक " प्रोन्नति" के अंतर्गत, -
 - (1) ''वेतनबैंड —1, 5200—20200 रु. जमा ग्रेड वेतन 2800'' शब्दों, अंकों और वर्णों के स्थान पर'' लेवल—5 (रू. 29200—92300 / —) ''शब्दों, अंकों और वर्णों को रखा जाएगा।
 - (2) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. 1—12014 / 49 / 2017—एनसीबी—II] मुकेश मित्तल, संयुक्त सचिव

नोट: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में दिनांक 24 नवम्बर, 2015 को अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 903 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS NOTIFICATION

New Delhi, the 17th May, 2018

- **G. S. R 482(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Staff Car Driver (Special Grade) (Group 'B' Non Gazetted post) Recruitment Rules, 2015, namely:-
- 1. (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Staff Car Driver (Special Grade) (Group 'B' Non Gazetted post) Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- 2.In the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Staff Car Driver (Special Grade) (Group 'B' Non Gazetted post) Recruitment Rules, 2015 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "2. Number of post, classification and level in the pay matrix.- The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column(2) to (4) of the Schedule annexed to these rules."
- 3. In the said rules, in the Schedule,-
 - (A) in column (2), for the figures and bracket "04*(2015)", the figures and bracket "05*(2018)" shall be substituted;
 - (B) In column (4), for the heading and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"Level in the pay matrix				
(4)				
Level -6 (Rs. 35400-112400	/-)";			

- (C) in column (11), under sub-heading "Promotion",-
 - (i) for the words, figures and letters "pay band-1, Rs. 5200-20200 with grade pay of Rs. 2800", the words, figures and letters "level-5 (Rs. 29200-92300/-)" shall be substituted.
 - (ii) Note 2 shall be omitted.

[F. No I-12014/49/2017-NCB-II]

MUKESH MITTAL, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 903(E), dated the 24th November, 2015.

RAKESH Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.05.25



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 728]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 26, 2015/अग्रहायण 5, 1937

No. 728]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 26, 2015/AGRAHAYANA 5, 1937

गृह मंत्रालय

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 नवम्बर, 2015

सा.का.नि. 903(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) समूह 'ग' और समूह 'घ' पद भर्ती नियम, 2007 को, जहां तक कि यह स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पद से संबंधित है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो में स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप नाम और प्रारंभ.—**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो), स्टाफ कार ड्राइवर (विशेष श्रेणी) (समृह 'ख' अराजपत्रित पद), भर्ती नियम, 2015 है ।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. **पद—संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** : उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।
- 4. निरर्हता : वह व्यक्ति
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है;
- (ख) जिसने अपने पित या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

4923 GI/2015 (1)

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

- 5. <u>शिथिल करने की शक्ति</u> : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
- 6. <u>व्यावृत्ति</u> : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और	चयन पद अथवा	सीधे भर्ती किए
			ग्रेड वेतन	अचयन पद	जाने वाले
					व्यक्तियों के लिए
					आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार	04*(2015)	साधारण केन्द्रीय सेवा,	वेतन बैंड–2	अचयन पद	लागू नहीं होता
ड्राइवर (विशेष	(*कार्यभार के आधार पर	समूह 'ख',	9300-34800 ₹. +		
श्रेणी)	परिवर्तन किया जा सकता	अराजपत्रित,	ग्रेड वेतन ४२०० रु.		
	है)	अननुसचिवीय			

सीधे भर्ती किए जाने वाले	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों	परिवीक्षा की अवधि, यदि	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या
व्यक्तियों के लिए अपेक्षित	के लिए विहित आयु और शैक्षिक	कोई हो	प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा		द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी
	में लागू होंगी या नहीं		जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत किए गए व्यक्तियों	प्रोन्नति द्वारा।
		के लिए दो वर्ष ।	

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन
की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या		परिस्थतियों में संघ
प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा		लोक सेवा आयोग से
_		परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी—1 जिन्होंने वेतन	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के	लागू नहीं होता।
बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. में उसी	संबंध में) जिसमें निम्नलिखित होगें :-	
श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो ।	(1) उप महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण	
<u>टिप्पण-1</u> : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में प्रोन्नित	ब्यूरो – अध्यक्ष	
के लिए विचार किया जा रहा हो, जिन्होंने अपनी अर्हक या	(2) उप निदेशक, स्वापक नियंत्रण	
पात्रता सेवा पूरी की ली है, वहाँ उनसे ज्येष्ट व्यक्तियों के	ब्यूरो –सदस्य	
संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि	(३) अवर सचिव, गृह मंत्रालय (स्वापक	
उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित	नियंत्रण ब्यूरो) – सदस्य	
अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष,		
इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो और उन्होंने अपने		
ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता		
सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में		
प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक		
पूरी कर ली हो ।		
<u>टिप्पण−2</u> : प्रोन्नित के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना		
करने के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 से पहले या		
उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर		
आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है,		
किसी अधिकारी द्वारा, नियमित आधार पर की गई सेवा,		
वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित		
तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी		
जाएगी ।		

[फा. सं.1—12020 / 85 / 2011—स्वा नि ब्यूरो] प्रदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRES

(NARCOTICS CONTROL BUREAU)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th November, 2015

- G.S.R. 903(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs (Narcotics Control Bureau) Group 'C' and Group 'D' Posts, Recruitment Rules 2007, in so far as it relates to the post of Staff Car Driver (Special Grade) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Special Grade), in the Narcotics Control Bureau, Minstry of Home Affairs, namely:-
- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Narcotics Control Bureau, Staff Car Driver (Special Grade) (Group 'B' Non Gazetted post) Recruitment Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of the posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto, shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
- 4. **Disqualification.** No person,—
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **5. Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Exservicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the	Number of	Classification	Pay band and	Whether	Age limit for	Educational and
post	post		grade pay	selection post	direct recruits	other
				or non-		qualifications
				selection post		required for direct
						recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff Car	04*(2015)	General Central	Pay band-2 Rs.	Non-selection.	Not applicable.	Not applicable.
Driver		Services Group 'B',	9300-34800			
(Special	* Subject to	Non-Gazetted, Non-	with grade pay			
Grade).	variation	Ministerial.	of Rs. 4200/-			
	dependent on					
	workload.					

Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Two years for promotees.	By promotion.	Promotion: Staff Car Driver Grade-1 in the pay band-1, Rs.5200-20200 with grade pay of Rs.2800/- with three years regular service in the grade. Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, which ever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the 6th Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion)consisting of: (1) Deputy Director General, NCB - Chairman (2) Deputy Director, NCB - Member (3) Under Secretary, Ministry of Home Affairs(NCB)- Member	Not applicable.

[F. No. I-12020/85/2011-NCB] PRADEEP GUPTA, Jt. Secy.